

प्रकरण संख्या 55/2024

अनवान रमिति बनाम इन्द्रजीत सिंह वगैरा

2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व अप्रार्थी 1,6,8,9,10 जरिये अधिवक्ता स्वयं हाजिर आये व राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा रास्ता स्वीकृति का कथन किया राजीनामा बाद तस्दीक शामिल मिसल है। मुताबिक राजीनामा चक 1 आरआरडब्ल्यु खाता संख्या 101/12 में प.न. 145/228 मु. न. 36 किला नं. 5/1/में 0.025 है। उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम रास्ता मजुर किया जाकर चक 1 आरआरडब्ल्यु खाता संख्या 26/21 में प.न. 145/228 मु.न. 36 किला नं. 36 किला नं. 4/1 में पूर्वी तरफ उतर से दक्षिण 0.025 है कृषि भूमि अप्रार्थी इन्द्रजीत सिंह पुत्र ईकबाल हिस व सुखपाल सिंह पुत्र दर्शन सिंह के नाम दर्ज किया जावे एवं चक 5 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 88/30 में प.न. 145/227 मु.न. 64 किला नं. 17,24 में पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण प्रत्येक 0.025 है। रास्ता स्वीकृत कर चक नं. 5 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 95/85 में प.न. 145/227 मु.न. 64 किला नं. 13 में 0.050 है। कृषि भूमि रमिती पत्नी विकास कुमार के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड अंकन किया जावे। प्रार्थी व अप्रार्थी 1,6,8,9,10 के मध्य हुआ राजीनामा निर्णय के अभिन्न अंग रहेंगे। तहसीलदार को अलग से पालनार्थ लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)

उपखण्ड अधिवक्ता,
संगरिया

